प्र.सं. 42/2020 अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं 126-136 भू राजस्व अधिनियम
हरभजन सिंह बनाम सरकार
जीसीएमएस : 2020/00092

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
06.01.2022	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प ग्रा.पं. 71 आरबी में पेश हुई। रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर क्रमांक भू.अ./21/1652 दिनांक 22.09.2021 प्राप्त हो चुकी हैं। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी का सही नाम हरभजन सिंह हैं छोटे नाम भजन सिंह के नाम से भी पुकारते थे। दस्तावेजों में नाम हरभजन सिंह ही दर्ज हैं। रकबा वादी के नाम से विरासतन नामान्तरित करवाते समय वादी के हरभजन सिंह के बजाये सहवन भजन सिंह दर्ज करवा दिया गया। भजन सिंह के स्थान पर हरभजन सिंह दर्ज करने के आदेश फरमाने एवं घोषणात्मक डिक्री पारित करने हेतु निवेदन किया। रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर का अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट चक 13 आरबी की जमाबंदी संवत 2075-2078 के खाता सं. 99 के मु.नं. 16-17-23-34-25-43 की कुल 26.910है. नहरी भूमि मय खाला में से 331/5382 हिस्सा यानि 1.655है. नहरी मय खाला कृषि भूमि भजन सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख साकिन देह खातेदार दर्ज हैं। भजन सिंह पुत्र प्रीतम सिंह के स्थान पर हरभजन सिंह पुत्र प्रीतम सिंह करवाना चाहता हैं। जिसका कोई राजस्व रिकार्ड दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि अन्य पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आदि में नाम हरभजन सिंह पुत्र प्रीतम सिंह हैं। मजमा-ए-आम में पूछताछ करने पर भजन सिंह एवं हरभजन सिंह एक ही व्यक्ति का नाम बताया एंव दुरूस्ती की जाती हैं, तो किसी भी उपस्थितं व्यक्तियों को कोई एतराज नहीं हैं। ऐसी स्थिति में दुरूस्ती की जानी उचित प्रतीत होती हैं। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 13 आरबी संवत 2075-2078 के खाता सं. 99 के मु.नं. 16-17-23-34-25-43 की कुल 26.910है. नहरी भूमि मय खाला संयुक्त खाता की भूमि में दर्ज खातेदार भजन सिंह पुत्र प्रीतम सिंह के स्थान पर भजन सिंह उर्फ हरभजन सिंह पुत्र प्रीतम सिंह की दुरूस्ती कर दर्ज करने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए जाते हैं। शेष अंकन यथावत रहेगा। इसी आशय की पर्चा [illegible] की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ [illegible] जावे। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06.01.2022 को लिखाया जाकर मजमा-ए-आम में सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर कैम्प - 71 आरबी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.02.21 17:58:30 IST
Reason: SelfAttested